



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 1570/री.ए.डी.एम./2017

इन्दौर, दिनांक 20/06/2017


:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

अति० पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला इन्दौर द्वारा अपने प्रतिवेदन क्र० पुअ/जिविशा/इन्दौर/ 2017(509) दिनांक 16/06/2017 द्वारा अवगत कराया गया कि बाहरी व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाने से अपराधी की रोकथाम एवं पतारसी करना अत्यन्त कठिन होता जा रहा है। शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति का भय बना हुआ है। वैसे भी इन्दौर मध्यप्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं रोजगार के बड़े केन्द्र के रूप में विकसित होने से बड़ी संख्या में व्यक्तियों का बाहर से आवागमन होता रहता है। इन्दौर शहर की जनसंख्या अन्य शहरों की तुलना में निरन्तर बढ़ती चली जा रही है तथा बाहरी व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। पुलिस द्वारा जाँच करने पर इस प्रकार से बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित पता नहीं होने से जाँच में परेशानी उत्पन्न होती है। इस प्रकार अपराधों की रोकथाम व इन पर नियंत्रण करना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है। पूर्व में इन्दौर से आतंकवादी संगठन के सदस्यों एवं बंगलादेशी अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति के संकट का भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इन्दौर शहर में हर दिन जुड़ने वाली नयी आबादी की जानकारी पुलिस थाने पर ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जाकर लोक सम्पत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके।

अतः इन असामाजिक तत्वों द्वारा इन मकानों/नौकरों के रूप में असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल आशंकाओं के कारण जनसामान्य के जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाएँ भी व्याप्त हो रही है। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः मैं शमीम उद्दीन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-


District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

1. किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे । इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दी जावे । साथ ही आई0डी0 पुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
2. घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जावे । साथ ही आई0डी0 पुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
3. छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावे । साथ ही आई0डी0 पुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
4. होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जावे । साथ ही आई0डी0 पुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
5. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए । साथ ही आई0डी0 पुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
6. पेंडिंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे । इसके उपरांत ही पेंडिंग गेस्ट रखा जावे । साथ ही आई0डी0 पुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
7. ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे । साथ ही आई0डी0 पुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा तथा होटल/लॉज/प्रतिष्ठान संचालकों / मकान/दुकान मालिकों/ठेकेदारों आदि के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इसलिए इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व मकान मालिकों एवं सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनांक 20 /06/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 21 /06/2017 से दिनांक 18 /08/2017 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(शमीम उद्दीन)
कलेक्टर एवं,
जिला-दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

इन्दौर, दिनांक 20 /06/2017

पृ०क्रमांक 157/री.ए.डी.एम./2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
5. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) /पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
6. अपर कलेक्टर/अति० जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम/ग्रामीण क्षेत्र, जिला इन्दौर ।
7. अति० पुलिस अधीक्षक, पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र ।
8. अपर संचालक, जन सम्पर्क, इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुडैल, कम्पेल, साँवेर, महु, देपालपुर, हातोद, सेन्द्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, संयोगितागंज, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. एस०डी०ओ० पुलिस, डॉ०अम्बेडकर नगर(महु), साँवेर, देपालपुर ।
11. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्द्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज, आजाद नगर, गांधी नगर क्षेत्र, इन्दौर ।
12. उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
13. थाना प्रभारी, थाना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकार से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
15. निदेशक, आकाशवाणी, इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।

कलेक्टर एवं,
District Magistrate,
जिला-दण्डाधिकारी,
(J. P. I.)
जिला इन्दौर.